प्रेस नोट-थाना फीलखाना कमिश्नरेट कानपुर नगर

ठेका दिलाने के नाम पर ठगी और धमकी करने वाला दबोचा

कानपुर। ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले और पैसा वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा गाली गलौज करने और धमकी देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दबोच लिया।

घटनाक्रम के मुताबिक जर्रार हुसैन इराकी पुत्र स्व0 नादिर हुसैन आफिस नं0 21. लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, रोलैण्ड टॉवर, निकट खेरेपति मन्दिर, थाना फीलखाना ने थाने पर शिकायत की अभियुक्तगणो द्वारा वादी से एन0वाई0 मिर्जा द्वारा स्क्रैप दिलाने के नाम पर 38,74,000/- रूपये जरिये RTGS व 1,26,000/- नगद ले लेना, ठेका न मिलने पर वादी द्वारा रूपये वापस मांगने पर विपक्षी गण द्वारा गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना. व वादी की रूपया हड़प लेना व कूटरचित दस्तावेज तैयार करना धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अप्रैल को मु0अ0स0 34/22 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि दर्ज कराया था। मुकदमे मे वांछित अभियुक्त अजय कुमार जैन पुत्र स्व0 पवन कुमार जैन निवासी एच-1 /10 किदवई नगर थाना किदवई नगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अजय कुमार जैन पुत्र स्व0 पवन कुमार जैन निवासी एच-1 /10 किदवई नगर थाना किदवई नगर कानपुर नगर उम्र 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0स0 34/22 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना फीलखाना कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 10/22 धारा 406/420 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 651/20 धारा 406/420 भादवि थाना गोविन्द नगर
4. मु0अ0सं0 87/21 धारा 406/420 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 प्रमोद कुमार कश्यप, हे0का0 शिवशंकर, का0 सर्वेश, का0 अमित सोलंकी शामिल रहे